पत्रांकः–473/गो0,

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

प्रेषक – वरीय पुलिस अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
झारखण्ड़ राँची।

दिनांक 20/01/2026

विषय :– पी0जी0 पोर्टल, पुलिस मुख्यालय, झारखंड, राँची में दर्ज कराये गये शिकायत **Registration No- GOVJH/E/2025/0005046 Dt-12-09-2025** के आलोक में **आवेदक VINAY CHANDRA 43/8 FLOOR 7TH CROSS BALAJI NAGAR SG PALYA BANGALOR 560029.** के आवेदन पत्र पर जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

***

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पी0जी0 पोर्टल, पुलिस मुख्यालय, झारखंड, राँची में दर्ज कराये गये शिकायत **Registration No- GOVJH/E/2025/0005046 Dt-12-09-2025** के आलोक में आवेदक VINAY CHANDRA 43/8 FLOOR 7TH CROSS BALAJI NAGAR SG PALYA BANGALOR 560029 का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। जिसकी जाँच पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, से करायी गयी। उन्होंने अपने कार्यालय के ज्ञापांक–1618/वि0व्य0, दिनांक–24.12.2025 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रतिवेदन की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
ह0/–
वरीय पुलिस अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

प्रतिलिपिः– पुलिस उप–महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा को कृपया सादर सूचनार्थ।

20.01

वरीय पुलिस अधीक्षक
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 1618 / विधि–व्यवस्था,
पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
दिनांक 24/12/2025

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय
गोपनीय शाखा
15 JAN 2026
पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

प्रसंग :– भवदीय का कार्यालय ज्ञापांक 7716 / सिंहभूम, दिनांक 18.09.25

विषय :– पी0जी0 पोर्टल, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, रॉची में दर्ज कराये गये शिकायत Registration No.-GOVJH/E/2025/0005046, Date 12-09-25 के आलोक में आवेदक VINAY CHANDRA 43/8 FLOOR 7TH CROSS BALAJI NAGAR SG PALYA BANGALOR 560029 के आवेदन पत्र पर जॉच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

::::::::::::::00::::::::::::

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करते हुए कहना है कि पी0जी0 पोर्टल, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड रॉची में दर्ज कराये गये शिकायत Registration No.-GOVJH/E/2025/0005046, Date 12-09-25 के आलोक में आवेदक VINAY CHANDRA 43/8 FLOOR 7TH CROSS BALAJI NAGAR SG PALYA BANGALOR 560029 के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में जॉच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त निर्देश के आलोक में प्रसांगिक पत्र के माध्यम से आवेदक विनय चंन्द्र National Joint Secretary NHRCCB का आवेदन प्राप्त है, जिसमें इन्होंने श्रीमति अनिता मण्डल पति हरि मण्डल सा0 परशुडीह मेन रोड पूर्वी सिंहभूम एवं उसकी बहन श्रीमति संजीता सेन पिता दिलीप सेन सा0 मकान सं0–62 मधुकापाड़ा हलुदबनी जमशेदपुर के शिकायत के आधार पर आवेदक विनय चंन्द्र National Joint Secretary NHRCCB द्वारा पी0जी0 पोर्टल पुलिस मुख्यालय झारखण्ड रॉंची में दर्ज कराये गये शिकायत Registration No-GOVJH/E/2025/0005046 Date-12/09/25 दर्ज किये है, जिसमें उन्होंने आशोक झा (पति इंदिरा झा) के विरुद्ध श्रीमति अनिता मण्डल एवं श्रीमति संजीता सेन को दुकान खोलने नहीं देने एवं जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाये हैं।

जाँच के क्रम में पाया गया कि मौजा कालीमाटी, खाता सं0–318, प्लोट सं0–376, रकवा–2 डिसमिल जमीन (दुकान) मुनीलाल प्रजापति का था, उसमें भाड़े पर कपड़ा सिलाई का दुकान हरि मण्डल एवं उसकी पत्नी अनिता मण्डल चलाते थे, वर्ष 2016 में मुनीलाल प्रजापति की मृत्यु हो गयी। उसके बाद मुनीलाल प्रजापति का पुत्र गोपाल प्रजापति ने वर्ष 2018 में उक्त दुकान को इंदिरा झा पति आशोक झा, सा0–म0सं0–64 खासमहल थाना– परसुडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम को बेच दिया। फिर दुकान को लेकर विवाद होने लगा, उसके बाद भी हरि मण्डल एवं उसकी पत्नी अनिता मण्डल दुकान चलाते रहे, उसके उपरांत हरि मण्डल की मृत्यु होने की सूचना लोगों से मिली। दुकान का मामला अनुमण्डल दण्डाधिकारी–सह–गृह भाड़ा नियंत्रण धालभूम, जमशेदपुर एवं उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पास पहुंचा तथा अनिता मण्डल अन्यत्र चली गयी। जाँच के क्रम में आवेदिका श्रीमति अनिता मण्डल एवं संजीता सेन से मोबाईल नं0–8700838443 से संपर्क करने पर बताये कि वे बैंगलोर में रह रहे है। उनका कहना है कि मकान/दुकान मालिक गोपाल प्रजापति हमलोगों को सूचना दिये बिना ही इंदिरा झा, पति अशोक झा को मकान बेच दिये, हमलोग काफी दिनों से वहॉ रह रहे थे। इसलिए हमलोग उस मकान/दुकान को खरीदते तथा वहॉं जाने पर अशोक झा देख लेने की धमकी देता है। इंदिरा झा द्वारा दायर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का H.R.C Appeal No 88/22-23 में दिनांक 25.05.25 को आदेश पारित हुआ, जिसमें यह स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष उक्त Building में बने दुकान के LandLord है, लेकिन द्वितीय पक्ष उक्त दुकान में Tenant है। इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

विपक्षी अवैध तरीके से उक्त दुकान पर कब्जा बनाये हुये है। जब तक प्रथम पक्ष के साथ एकरारनामा निष्पादित नहीं होता। उसके बाद अनिता मण्डल के अन्यत्र चले जाने के कारण इंदिरा झा पति अशोक झा, सा0 म0सं0–64 खासमहल थाना परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम ने उस दुकान का मरम्मति करवा कर दुकान का आकार बड़ा कर दिया। उसके कुछ दिन बाद अनिता मण्डल की बहन संजीता सेन उस दुकान के पास गयी तो अशोक झा के साथ दुकान को लेकर ही विवाद हुआ था। तत्पश्चात दिनांक 13.09.25 को इंदिरा झा ने उक्त दुकान आयुषी शिवारे को व्यवसाय करने के लिए भाड़े पर देने का एग्रीमेंट किया एवं उस दुकान में अभी शराब दुकान खुला है। जॉच में आस पास के लोगो से पूछताछ में पता चला कि अशोक झा एवं उसकी पत्नी इंदिरा झा द्वारा अनिता मण्डल, संजीता सेन एवं उसके परिवार को जान मार देने की धमकी देने संबंधित बात प्रकाश में नहीं आयी । उसके बावजुद भी कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिये थाना स्तर से निगरानी रखी जा रही है।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24.12.2025

पुलिस उपाधीक्षक,
विधि–व्यवस्था, जमशेदपुर।

24.12.25